न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

निग — 2122-PBR-16

1. अमृतलाल बल्द नन्नू सिंह
   निवासी–पटवारी सेन्टर के पीछे राजीव नगर रसूलिया
   तह. व जिला होशंगाबाद
2. करतार सिंह बल्द नन्नू सिंह
   निवासी–मुख्य जिंसी चौराह जहागीराबाद
   भोपाल तह. व जिला भोपाल । .... **याचिकाकर्तागण**

बनाम

जसबंत सिंह आ. नन्नू सिंह
निवासी–ग्राम बैहराखेड़ी तह.डोलरिया
जिला–होशंगाबाद । .... **उत्तरवादी**

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता :–

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदाय डोलरिया द्वारा राजस्व प्रकरण क्र.06–अ/27 वर्ष 2015–16 जिसके पक्षकार अमृत लाल व अन्य बनाम जसबंत सिंह हैं में पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 से क्षुब्ध एवं व्यथित होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता हैं :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2122—पीबीआर/2016 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29—9—2016	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 23—5—16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन निरस्त नहीं किया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाने से वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना होगी, अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	